न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–27/2019 दायर दिनांक: 15.04.2019

GCMS NO:- 2019/00304

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 9 देई तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री शंकर लाल शर्मा एड़वोकेट

निर्णय दिनांक 10.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई पटवार हल्का देई तहसील नैंनवां की खाता सं. 260 के खसरा सं. 2286, 2287, 2288, 2289, 3836, 3843, 3876 कुल किता 07 कुल रकबा 21 बीघा 09 विस्वा भूमि है। प्रार्थी का वास्तविक नाम मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा है, जबकि चरण सं. 1 में वर्णित भूमि में मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा के स्थान मोनू पुत्र बाबूलाल शर्मा दर्ज कर दिया है। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पास–बुक मे मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा ही लिखा हुआ है। दोनों नामों से प्रार्थी को ही जाना व पहचाना जाता है, दोनों नाम प्रार्थी के ही है। चरण सं. 1 में वर्णित भूमि के खाते में मोनू नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी को के.सी.सी. व अन्य राज्य सरकार की योनजाओं से वंचित होना पड़ता है। अतः निवेदन है कि प्रांर्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मोनू पुत्र बाबूलाल शर्मा के स्थान पर मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा सही करने की आज्ञा फरमावें।

अपने जवाब में प्रत्यार्थी पैरोकार सरकार ने संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थना–पत्रों के चरणों को स्वीकार किया है। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी ... ग्राम देई में प्रार्थी का नाम मोनू पुत्र बाबूलाल शर्मा दर्ज है। जबकि प्रस्तुत आधार ... मा... ह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पास–बुक आदि व पंचायत के द्वारा ... मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा सही होना जाहिर होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ... स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

ग्राम देई पटवार हल्का देई तहसील नैंनवां की खाता सं. 260 के खसरा सं. 2286, 2287, 2288, 2289, 3836, 3843, 3876 कुल किता 07 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि में खातेदार का नाम मोनू पुत्र बाबूलाल शर्मा के स्थान पर मनीष कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा इन्द्राज दुरूस्त किये जाने बाबत तहसीलदार नैनवॉ आदेश को दिये जाकर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner